परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 21वीं सदी को भारत की सदी बताया

50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने पर हो रहा है काम

हैदराबाद, 27 नवंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 21वीं सदी को भारत की सदी बताते हुए गुरुवार को कहा कि सरकार इस क्षेत्र की तरह अब परमाणु क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोलने की दिशा में आगे बढ रही है.

देश की ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नेतृत्व को बल मिलेगा. श्री मोदी ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान

तथा नवाचार पर विशेष बल देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सरकार देश भर में विद्यार्थियों के लिए और 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने पर काम कर रही है. अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्कूलों में छात्रों के बीच रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है. श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में अंतरिक्ष उद्योग क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन कर रहे थे. प्रधानमंत्री ने स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया.

दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें

उन्होंने कहा कि यह सुधार हमारी ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिक क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका को नई शक्ति मिलेगी. श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो सामर्थ्य है, वैसा सामर्थ्य दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है. देश में विशेषज्ञ इंजीनियर हैं, उच्चस्तरीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र, विश्वस्तरीय अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल और नवाचार को प्रोत्साहन करने वाली सोच है. उन्होंने अंतरिक्ष उद्योग से भारत के सामर्थ्य के प्रति इस समय दुनिया के बढ़ते आकर्षण का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र का सामर्थ्य लागत की दृष्टि से किफायती और भरोसेमंद है. इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं.

उन्होंने इस अवसर पर कहा, जैसे हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी कदम उठाने जा रहे हैं. हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी (निजी क्षेत्र के लिए) खोलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा हम परमाणु क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं. इससे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, उन्नत रिएक्टर और परमाणु प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार के अवसर बनेंगे.

हांगकांग में आग लगने से 44 की मौत

279 लोग अभी भी लापता

हांगकांग, 27 नवंबर. हांगकांग के ताइ पो जिले में आवासीय इमारत में आग लगने से कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई है और 279 लोग अभी भी लापता हैं.

बचाव दल ऊंची इमारतों की तलाशी ले रहे हैं, जिनमें अभी भी आग लगी हुई है. इस कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग रहते हैं, जिससे मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है. अधिकारियों ने तीन लोगों को गैर-इरादतन हत्या के शक में गिरफ्तार किया है, उन पर आग लगने से जुड़ी बड़ी लापरवाही का आरोप है. उनके शामिल होने के बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है.

हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने कहा है कि आने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल (लेगको) चुनावों से पहले सभी चुनाव प्रचार गतिविधियों को रोक दिया गया है. सरकार आपदा प्रतिक्रिया को प्राथमिकता दे रही है. रेडियो टेलीविज हांगकांग के मुताबिक शहर के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने सुबह एक ब्रीफिंग में पत्रकारों से कहा, सबसे पहली प्राथमिकता आग बुझाना और फंसे हुए लोगों को बचाना है. दूसरा काम घायलों का इलाज करना है, तीसरा उसके बाद के हालात को संभालना है.

जी20 सदस्यता हमारा अधिकार : रामाफोसा

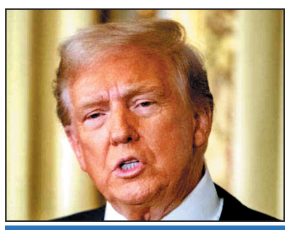

ट्रंप ने कहा- द. अफ्रीका कर रहा मानवाधिकारों का उल्लंघन

प्रिटोरिया, 27 नवंबर. राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया का रुख करते हुए कहा था कि दक्षिण अफ्रीका 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' कर रहा है और उसने 'जी20 की मेजबानी के दस्तावेजों के हस्तांतरण में प्रोटोकॉल का उल्लंघन' किया है.

इस दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफ़ोसा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि उनका देश 'अपने अधिकार से' जी20 का सदस्य है और सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें किसी देश के मशवरे की ज़रूरत नहीं है. गौरतलब है कि श्री ट्रम्प ने कहा था कि वह दक्षिण अफ्रीका को 2026 में फ्लोरिडा में होने वाले जी20 सम्मेलन में आमंत्रित नहीं करेंगे. इसके जवाब में रामाफोसा ने कहा, दक्षिण अफ्रीका अपने नाम और अधिकार से जी20 का सदस्य है. उसकी जी20 सदस्यता सभी सदस्य राष्ट्रों की मंजूरी से है. दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश है और वैश्विक मंचों में सदस्यता अधिकार के संबंध में किसी अन्य देश से अपमान स्वीकार नहीं करता है.

रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्या के संबंध में लगाई अटकलों को सिरे से खारिज किया. अमेरिका से कूटनीतिक रिश्ते सुधारने की कई कोशिशों के बावजूद 'गलत सूचना और विकृतियों' के आधार पर ट्रम्प का उनके देश के खिलाफ 'दंडात्मक उपाय' अपनाना निराशाजनक है. अमेरिका द्वारा बॉयकॉट किया शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग सदस्य राज्यों की तारीफ़ों का केंद्र बना व अंत 'बहुपक्षीय सहयोग' की पुष्टि करने वाले घोषणा पत्र के साथ हुआ. अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद 20 राष्ट्रनेताओं के एक समूह ने जलवायु संकट सहित कई अन्य वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर एक घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर किये.

कर्नाटक में वरिष्ठ मंत्रियों का दखल बढ़ा

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के बीच सत्ता नेतृत्व की खींचतान

बेंगलुरु, 27 नवंबर. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता के नेतृत्व की खींचतान के बीच अब प्रभावशाली धार्मिक नेताओं और वरिष्ठ मंत्रियों की दखलांदाजी भी सामने आयी है. प्रदेश में 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही चल रहा यह विवाद इस हफ्ते दोनों नेताओं के साथ जुड़े समुदाय के साधु-संत के नए बयानों के बाद फिर से सामने आ गया. नेतृत्व का मंथन जो पहले काफी हद तक पार्टी के गलियारों तक ही सीमित था, अब जाति के पहलुओं के और साफ होने के साथ सार्वजनिक हो गया है. मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के समर्थक माने जाने वाले एक प्रमुख कुरुबा संत ने जोर दिया है कि विधायक ही तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जिससे मुख्यमंत्री की लंबे समय से चली आ रही इस दलील को बल मिला कि कानूनी समर्थन से नेतृत्व तय होना चाहिए.

प्रदेश के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दों को पारदर्शिता तरीके से व सरकार की स्थिरता के हित में सुलझाया जाना चाहिए. श्री परमेश्वर की बातों से यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वह खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं या सिर्फ़ पार्टी में आतंरिक अनुशासन की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ सिद्दारमैया और श्री शिवकुमार दोनों ही नेता पहले की तरह ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार स्थिर है.

योगी सरकार बदलेगी फाजिल नगर का नाम

गाजियाबाद, 27 नवबंर. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को जैन परंपरा और धार्मिक धरोहरों को नया सम्मान देते हुए एक बड़ा कदम उठा लिया. गाजियाबाद में भगवान पार्शवनाथ की प्रतिमा स्थापना और मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि कुशीनगर जिले का फाजिल नगर अब 'पावा नगरी' नाम से जाना जाएगा.

पराली प्रबंधन में पंजाब ने दिखाया रास्ता

मोगा (पंजाब)/नई दिल्ली, 27 नवंबर. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज

हितधारकों के साथ मंत्री शिवराज सिंह ने किया संवाद

पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कलां गांव में किसानों और ग्रामीणों के साथ संवाद किया.

उन्होंने पराली नहीं जलाने, फसल अवशेष प्रबंधन, कम रासायनिक खाद के उपयोग और पानी-बचत वाली खेती के लिए गांव की पंचायत और किसानों को बधाई दी तथा इसे पूरे देश के लिए प्रेरक आदर्श बताया. देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है.

हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर है, वहीं उत्तरी भारत में पराली जलाने से उठने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ाने की एक बड़ी वजह रहा है. ऐसे में पंजाब के रणसिंह कलां गांव का पराली न जलाने वाला प्रयोग एक सकारात्मक बदलाव की बयार के रूप में देखा जा रहा है.

आज का इतिहास

1520 - फर्डिनान्द मैगलन ने प्रशांत महासागर को पार करने की शुरुआत की।

1660 - लंदन में द रॉयल सोसायटी का गठन हुआ।

1676 - बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी भारत के उपजाऊ क्षेत्र और महत्वपूर्ण बंदरगाह पुड्डुचेरी पर फ़्रांसीसियों का क़ब्ज़ा हो गया।

1814 - द टाइम्स ऑफ लंदन को पहली बार स्वचालित प्रिंट मशीन से छापा गया।

1821 - पनामा ने स्पेन से आजाद होने की घोषणा

IRCLASS SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

हम तृतीय-पक्ष निरीक्षण सेवाओं और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) में अग्रणी हैं और तेल एवं गैस, भवन निर्माण एवं अवसंरचना, बिजली, नवीनीकरण योग्य ऊर्जा, प्रक्रिया, पारेषण एवं वितरण, बंदरगाह एवं सामग्री प्रबंधन, एयरोस्पेस और रक्षा सहित विभिन्न उद्योगों को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं.

हम अपनी विभिन्न परियोजनाओं और प्रभागों के लिए निम्नुसार निम्नलिखित कर्मियों की भर्ती करना चाहते हैं :

भवन निर्माण एवं अवसंरचना

पद	शिक्षा/अनुभव	स्थान
ऑपरेशंस इंजीनियर - सिविल एनडीटी	बीई/बी.टेक सिविल - सिविल एनडीटी (स्ट्रक्चरल ऑडिट, यूपीवी, रिबाउंड हैमर) में न्यूनतम 5 वर्ष	भोपाल
सीएनडीटी तकनीशियन - सिविल एनडीटी	आईटीआई/12वीं पास - सिविल एनडीटी (ऑडिट, यूपीवी, रिबाउंड हैमर) में 3-5 वर्ष	

पात्रता :
एनडीटी भूमिकाएँ : प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता के साथ सिविल एनडीटी (स्ट्रक्चरल ऑडिट, यूपीवी, रिबाउंड हैमर) में व्यावहारिक अनुभव

कृपया अपना बायोडाटा careers@irclass.org पर भेजें

IDBI BANK सीआईएन: L65190MH2004GOI148838

सार्वजनिक सूचना

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई – 400005

हम सूचित करना चाहते हैं कि दिनांक 31 मार्च 2025 तक बचत एवं चालू खातों में जिनमें शून्य शेष हैं और 2 वर्षों से अधिक समय से कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं किए गए हैं उन खातों को बैंक द्वारा निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे ग्राहकों को इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है.

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से ऐसे सभी खाता धारकों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे खाते को पुनः सक्रिय करने के उद्देश्य से अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) वैध दस्तावेजों के साथ इस सूचना के प्रकाशित होने के सात (7) दिनों के भीतर बैंक की नजदीकी शाखा से संपर्क करें.

यदि ग्राहक उक्त समय अवधि के भीतर खाते को पुनः सक्रिय करने में विफल होता है तो बैंक द्वारा आगे बिना किसी सूचना के खाता बंद कर दिया जाएगा. बैंक किसी भी खाते के बंद होने के कारण होने वाली किसी प्रकार की हानि, सेवाओं में बाधा आदि के अनुसरण में किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा.

ह/-

दिनांक: २८/११/२०२५
स्थान: मुंबई

मुख्य महाप्रबंधक
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CENTRUM Home Loans Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	UDRNM24015012 विनोद कुमार गायरी/आशा बाई	अधिकारों में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा और पार्सल आबादी मकान संख्या 78, प्रवेश 980 वर्ग फुट, खं. संख्या 116, पीएच संख्या 36, वार्ड संख्या 14, ग्राम-ढाबा, तहसील और जिला नीमच-458441, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व: - घर मांगीलाल पश्चिमः - घर राधेश्याम उत्तरः - आम रास्ता दक्षिणः - घर मांगीलाल	30-जुलाई-25/ रु.1,29,270/- (एक लाख उनतीस हजार दो सौ सत्तर मात्र)	26-Nov-25
2	UDRNM24015210 राजू सुरावत/ गुड्डी बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में बियरिंग हाउस नं. 151, प्रशासन 77.88 वर्गमीटर, पीएच. क्रमांक 01, वार्ड क्रमांक 10, एलएसएन 205, आबादी सर्वे क्रमांक 205, ग्राम- मालखेड़ा, तहसील-मानस, जिला-नीमच-458110, मध्य प्रदेश. सीमाएँ:- पूर्वः-कैलाशी बाई पत्नी वकील का मकान पश्चिमः- रास्ता और श्यामलाल भावसिंह का मकान उत्तरः-आम रास्ता रोड दक्षिणः-सुबम का बाड़ा	30-जुलाई-25/ रु. 7,00,045/- (सात लाख पैंतालीस मात्र)	25-Nov-25
3	UDRNM24016710 परसराम परसराम/उजाला बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में वार्ड क्रमांक 31, पीएच.सं. 41, प्रवेश 1120 वर्ग फुट, KH. क्रमांक 166, ग्राम-मालाहेड़ा, ग्राम पंचायत-मालाहेड़ा, तहसील-मनासा, जिला-नीमच, मध्य प्रदेश-458110। सीमाएँ:- पूर्वः आम रास्ता और इंदर सिंह का घर, पश्चिमः आम रास्ता और स्वयं का घर, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः रे सिंह का घर, शोला का घर	30-जुलाई-25/ रु. 10,16,955/- (दस लाख सोलह हजार नौ सौ पचपन मात्र)	26-Nov-25
4	UDRNM24014667 घनश्याम मेघवाल/कैलाश बाई मेघवाल	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में बियरिंग सर्वे नंबर 525, मकान नंबर 188, प्रशासन। 788 वर्ग फुट, पीएच. क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 12, ग्राम-ढाकनी, तहसील- मनासा, जिला-नीमच-458113, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः ध्यानश्याम मालवीय और जीवन का घर मालवीय पश्चिम : पिता शांतिलाल परिहार उत्तर : पिता अमरलाल एवं रतनलाल पुत्र बद्रीराम दक्षिण : आम रास्ता	30-अगस्त-25/ रू. 4,39,641/- (चार लाख उनचालीस हजार छह सौ इकतालीस मात्र)	26-Nov-25
5	UDRNM24014749 किशोर मीना/ समता कुमारी मीना/ प्रभुलाल मीना/ जानी बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में धारणः पीएच. संख्या 37, प्रवेश 2714 वर्ग फुट, एलएसएन 171, ग्राम- समेल, जावद और जिला नीमच-458220, मध्यप्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः स्वयं की भूमि और सार्वजनिक सड़क पश्चिमः पति जीतमल पुत्र पन्नालाल उत्तरः सार्वजनिक सड़क दक्षिणः पति जगदीश पुत्र हीरालाल	30-अगस्त-25/ रु. 9,95,115/- (नौ लाख पिनच्यानवे हजार एक सौ पंद्रह मात्र)	25-Nov-25
6	UDRNM24017800 राजू गरासिया/ केशर बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में मकान संख्या 27, पीएच नंबर 41, प्रवेश 51.11 वर्ग मीटर, भूमि सर्वेक्षण संख्या 166, ग्राम-मालाहेड़ा, तहसील-मनासा, जिला- नीमच - 458110, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः तूफान का घर पश्चिमः आम रास्ता उत्तरः गली दक्षिणः सूरजमल की जमीन	30-अगस्त-25/ रु. 8,80,849/- (आठ लाख अस्सी हजार आठ सौ उनचास मात्र)	26-Nov-25

दिनांक : 28.11.2025
स्थानः मध्यप्रदेश

एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी

नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड
NORTHERN ARC पंजीकृत कार्यालयः 10वीं मंजिल, चरण-क, आईआईटी-मद्रास रिसर्च पार्क, कनागम गांव, तारामणि, चेन्नई - 600113, तमिलनाडु।

[नियम - 8 (1), अचल संपत्तियों के लिए] कब्जे की सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने 18 मार्च 2025 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता (1) श्री दीपक कुमार पाटीदार (उधारकर्ता) (2) श्रीमती को बुलाया गया। सपना पाटीदार, (3) मेसर्स सांवरिया एग्रो सर्विस, जिसका पता 96 भाटी बड़ोदियान, आजाद चौक, वार्ड क्रमांक 6, रतलाम-457001- मध्य प्रदेश है, को नोटिस में उल्लिखित राशि 23,58,442 रुपये (तेईस लाख अट्ठावन हजार चार सौ बयालीस मात्र) 12 मार्च, 2025 तक नोटिस में उल्लिखित ब्याज सहित, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा है।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2025 के इस 26 नवंबर को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन 12 मार्च, 2025 तक नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड द्वारा रु. 23,58,442 (तेईस लाख अट्ठावन हजार चार सौ बयालीस मात्र) की राशि तथा अन्य शुल्कों के अधीन होगा।

"ऋणी का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।"

बंधक संपत्ति का विवरण
पीएच नं.49 सर्वे नं.584/2, ग्राम भाटी बड़ोदिया, ताल. जिला रतलाम, कुल माप क्षेत्र 0.120 हेक्टेयर और सीमांतः- उत्तरः स्वयं की भूमि दक्षिण मार्ग पूर्वः हीरालालजी की भूमि पश्चिमः कमल किशोर जी की भूमि

एसडी/-
दिनांकः 28 जुलाई 2025
स्थानः रतलाम
अधिकृत अधिकारी
नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड

म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि.
पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक नं.-1, तृतीय तल, पर्यावास भवन, भोपाल-462011, CIN-U15411MP1974 SGC 001268
Procurement Control Room No. - 0755-2677847
वेबसाइट : www.mpscsc.nic.in, ई-मेल : mpscsc@bsnl.in
क्रमांक/वितरण/869256/2025-26/531 भोपाल, दिनांक 27.11.2025

क्षतिग्रस्त स्कंध के विक्रय हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

कार्पोरेशन द्वारा म.प्र. के विभिन्न जिलों में भंडारित विभिन्न श्रेणी के क्षतिग्रस्त स्कंध जो ''जैसा है जहां है'' के आधार पर विक्रय हेतु भारतीय खाद्य निगम में पंजीकृत पात्र निविदाकारों से ऑनलाइन निविदायें ई-निविदा वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर दिनांक 20.12.2025 सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज, नियम एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण **https://mptenders.gov.in** एवं **https://www.mpscsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन भरने हेतु संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर 0120-4001002 पर संपर्क कर सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/123229/2025 **प्रबंध संचालक**

Land for Sale at Kaanha (M.P.)

Clear title land for sale in Kaanha. Ideal for farmhouse and residential plotting. Contact **9074747174 / 9072311440** for further details.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
शुजालपुर शाखा: मकान नंबर 17, वार्ड नंबर 15, पंजाबी मोहल्ला, दिगंबर जैन मंदिर रोड, शुजालपुर, शुजालपुर मंडी, जिला शुजालपुर - 465333 (मध्य प्रदेश)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1.	(लोन कोड नं. 09110000092/ शुजालपुर शाखा) हेमराज वर्मा (ऋणी), रामकन्या वर्मा (सह-ऋणी)	10-07-2024 एवं ₹ 4,34,760/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल, कृषि मण्डी के पीछे की तरफ, वार्ड नं. 06, प.ह. 22, सर्वे नं. 317/18 मिन 3 पानखेड़ी (कालापीपल) शाजापुर मध्य प्रदेश 465337. **चतुर्सीमाएँ:-** पूर्व- सार्वजनिक रास्ता, पश्चिम- गजराज की भूमि, उत्तर - विक्रेता की भूमि, दक्षिण - विक्रेता की भूमि	Rs. 4,53,600/-	Rs. 45,360/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **17-12-2025 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **18-12-2025 दोपहर : 03:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है। 3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी। 4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। 5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/signup**, लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। 7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दिपक मालवीय, (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com**, फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है। 8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें। 9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है। 10.यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 28.11.2025
सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दि कॉसमॉस को-ऑप. बँक लि. (मल्टिस्टेट शेड्यूल्ड बँक) जीवन करा समृद्ध!
पंजीकृत कार्यालय : कॉसमॉस टॉवर, प्लॉट क्र. 6, आईसीएस कॉलोनी, युनिवर्सिटी रोड, गणेशखिण्ड, शिवाजीनगर, पुणे-411007 फोन : 020 - 67085305

चल और अचल सम्पत्तियों की ई नीलामी द्वारा विक्रय सूचना अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित नियम 8(6) और 6(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002

एतद्द्वारा आम जनता, ऋणीकर्ता, जमानतदार और गिरवीदारों को सूचित किया जाता है कि नीचे बताई गई चल और अचल संपत्ती आरक्षित ऋण प्रदाता के पास भारित हैं, जिनका भौतिक कब्जा दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, की बिक्री / ई-निलामी **18/12/2025** को दोपहर **12:30** बजे से दोपहर **1:30** बजे तक प्रत्येक ५ मिनट के असीमित विस्तार के साथ **'जैसा है जहां है, जो है जैसा है , और जो कुछ भी वहाँ है'** के आधार पर की जाएगी।

ऋणीकर्ता, गिरवीदार, जमानतदार व शाखा का नाम	डिमांड नोटिस 13(2) का ब्योरा: तिथि	डिमांड नोटिस 13(2) का ब्योरा: राशि	आधिपत्य तिथि	विक्रय / ई-निलामी: तिथि	विक्रय / ई-निलामी: समय
1. मेसर्स. भविष्य एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज, प्रोप्रा. श्रीमती. ममता जाट श्री. मुकेश जाट की पत्नी पता-1: प्लॉट नं.862, सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला. धार, मध्य प्रदेश-454 774. **पता-2 :** 238, ग्राम सुलावद, जिला. धार, मध्य प्रदेश-454 774. **2. श्री. सुनील जाट श्री. गिरधारी सिंह जाट के पुत्र पता -** एचआईजी-3, एयरपोर्ट रोड, आदर्श नगर, गांधी नगर, हुजूर, भोपाल - 462036 **3. श्री. संतोष जाट श्री. रामचंदर जाट के पुत्र पता -** 238, ग्राम सुलावद, जिला. धार, मध्य प्रदेश-454 774. **4. श्री. मुकेश जाट श्री. गजूलाल जाट के पुत्र पता -** 238, ग्राम सुलावद, जिला. धार, मध्य प्रदेश-454 774. **शाखा: इंदौर**	04/03/2023	₹ 73.11 लाख + ब्याज	18/11/2024 को प्रत्यक्ष ताबा	18/12/2025	दो. 12.30 से 1.30 बजे

परिशिष्ट - I - चल संपत्ती का विवरण:-
गेहूं का आटा मिल के उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी जैसे 1200 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता वाली सफाई मशीन। (सेपरेटर/डिस्टोनर/ब्लोअर/साइक्लोन), गेहूं क्रशर, ग्रेविटी सेपरेटर, एलिव्हेटर आदि **(संपत्ती मालिक - ऋणीकर्ता)**। विस्तृत सूची प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है।

रिजर्व मूल्य	बयाना जमा राशि
₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र)	₹ 2.00 लाख (₹ दो लाख मात्र)

परिशिष्ट - II - अचल संपत्ती का विवरण:-
प्लॉट नंबर 862, औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 3, सागोर, पीथमपुर, तहसील पटेरा, जिलाधार (मध्य प्रदेश) में भूमि क्षेत्र 1451 वर्ग मीटर उस पर निर्माण सहीत। **उक्त भूखंड की सीमाएँ इस प्रकार हैं; पूर्व की ओर** - प्लॉट नंबर 862, **पश्चिम की ओर** - 30 मीटर चौड़ी सड़क, **दक्षिण की ओर** - 30 मीटर चौड़ी सड़क, **उत्तर की ओर**- 24 मीटर चौड़ी सड़क,
(संपत्ती मालिक - मे. भविष्य एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज, द्वारा प्रोप्रा. श्रीमती. ममता जाट, श्री. मुकेश जाट की पत्नी)

रिजर्व मूल्य	बयाना जमा राशि
₹ 105.00 लाख (₹ एक करोड़ पांच लाख मात्र)	₹ 10.50 लाख (₹ दस लाख पचास हजार मात्र)

नोट : 1. उल्लेखित संपत्ती : **16/12/2025** को सुबह **11:00** बजे से दोपहर **1:00** बजे के बीच निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। **2.** ई-नीलामी के संबंध में किसी भी अन्य पूछताछ के लिए उपरोक्त फोन नंबर पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। **3.** बयाना राशि जमा (ईएमडी), दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ई-नीलामी ईएमडी खाता सं. COS370219, IFSC कोड: COSB0000090 में, डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी। ईएमडी राशि और केवाईसी दस्तावेज **17.12.2025 को शाम 5:00** बजे या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए। **4.** उपरोक्त संपत्तियों की बिक्री को समूह में प्राधान्य दिया जाएगा।
इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और 6(2) के तहत कर्जदारों/गिरवीदारों/गारंटीदाताओं के लिए 15 दिनों का नोटिस भी माना जाएगा।
बिक्री/ई-नीलामी के विस्तृत नियम व शर्तें बैंक की वेबसाइट अर्थात **https://www.cosmosbank.com** और **https://cosmosbank.auctiontiger.net** पर उपलब्ध हैं।

दिनांक : 28.11.2025
स्थान: पुणे
सहायक महाप्रबंधक (ओएसडी) और प्राधिकृत अधिकारी, दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड